

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

आरएफपी संदर्भ सं.: - रा.आ.बैंक/नदि/मा.सं. एवं प्र./ए- 1215 /2020

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)-

यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति

मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली -110003

फोन: 011-24626383, 011-24617101

ई-मेल: meghna.prakash@nhb.org.in, prama.basu@nhb.org.in

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

शब्दावली

संक्षेपाक्षर	विवरण
NHB	राष्ट्रीय आवास बैंक
HO	प्रधान कार्यालय, दिल्ली
PSU	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
EMD	बयाना जमा-राशि
RFP	प्रस्ताव हेतु अनुरोध
SLA	सेवा स्तरीय करार

व्याख्या: शब्द आरएफपी, निविदा, बोली एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं एवं इसे एक व इस आरएफपी दस्तावेज के प्रयोजनार्थ एक जैसा ही समझा जायेगा। सभी स्पष्टीकरण, संशोधन, आशोधन, पूरक जो इस आरएफपी के संबंध में जारी किये जा सकते हैं, इस आरएफपी के हिस्से एवं अभिन्न अंग के तौर पर समझा जाएगा एवं आरएफपी दस्तावेज में समाविष्ट होंगे।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

विषय - सूची		
क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	अपेक्षित बोली विवरण	5
2.	राष्ट्रीय आवास बैंक का परिचय	6
3.	प्रयोजन	6
4.	उद्देश्य	7
5.	कार्य क्षेत्र	7-8
6.	संविदा की अवधि	8
7.	बोलीदाताओं को निर्देश	8-20
8.	देयता खंड	20
9.	क्षतिपूरण	20-21
10.	बोलियां (न्यूनतम पात्रता मानदंड और वाणिज्यिक) और बोली मूल्यांकन पद्धति	21
11.	सामान्य नियम और शर्तें	21-22
12.	कार्य आदेश/ लेटर ऑफ अवार्ड की स्वीकृति	22
13.	निश्चित करार	22-23
14.	संविदा दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग	23
15.	समनुदेशन	23
16.	संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि खंड	23-24
अनुलग्नक		
17.	अनुलग्नक I भाग I : बोली दस्तावेजों के साथ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र का प्रारूप	26-27
18.	अनुलग्नक I भाग II: बोलीदाता की जानकारी	28
19.	अनुलग्नक II : बोलीदाता का अनुभव विवरण	29-30
20.	अनुलग्नक III: अनुपालन वक्तव्य घोषणा	31
21.	अनुलग्नक IV: विचलन की सूची	32
22.	अनुलग्नक V: न्यूनतम पात्रता	32-33
23.	अनुलग्नक VI : वाणिज्यिक बोली कवरींग पत्र	35
24.	अनुलग्नक VII: वाणिज्यिक बोली प्रारूप	36
25.	अनुलग्नक VIII: ईसीएस अधिदेश	37-38

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

26.	अनुलग्नक IX: योग्यता प्रारूप पत्र	39
27.	अनुलग्नक X: बायोडेटा	40 -41
28.	अनुलग्नक XI: संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि	42-52
29.	अनुलग्नक XII: सेवा स्तरीय करार	53-70
30.	अनुलग्नक XIII: गोपनीयता सह अप्रकटीकरण करार	71-76

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
2.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों शुरु होने की तारीख	05.02.2020
3.	बोलीदाताओं के साथ बोली-पूर्व बैठक (तारीख एवं समय)	12.02.2020; 03:00 बजे
4.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	25.02.2020 को शाम 04:00 बजे
5.	न्यूनतम पात्रता मानदंड बोली खोलने की तिथि और समय	26.02.2020 को शाम 04:00 बजे
6.	आरएफपी की लागत	शून्य
7.	बयाना जमा - राशि	50,000/- रुपये
8.	बोली खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग, प्रधान कार्यालय, कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

टिप्पणी: -

- वाणिज्यिक बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उक्त अनुसार इसमें भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल अथवा रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना, रिपोर्ट की जायेगी और इस आरएफपी के प्रकाशन की यथा तारीख को मानी जायेगी।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संस्थान है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. रा.आ.बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है:-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- इस अधिनियम के तहत व्युत्पन्न प्राधिकार के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को पर्यवेक्षी करना।
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद में हैं।

3. प्रयोजन:

पूरी तरह से आउटसोर्स यात्रा सेवाओं के लिए निम्नलिखित कारणों का होना अपेक्षित है:

- ट्रेवल एजेंट के साथ सह-समन्वय रखना जो बैंक के महत्वपूर्ण समय और श्रमशक्ति को बचाता है।
- सिंगल पॉइंट ट्रेवल डेस्क मौजूदा प्रक्रिया को आसान बनाएगा और बहुस्तरीय संचार को कम करेगा।
- उक्त सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगा।
- एक पूरी तरह से डेडीकेटिड ट्रेवल डेस्क, बहुत कम समय में टिकट बुक करने / रद्द करने में अधिकारियों को सुविधा प्रदान करेगा, जो आधिकारिक उद्देश्यों हेतु अधिकारियों की कार्य करने की गतिशीलता में सुधार करेगा।

4. उद्देश्य

अधिकारियों की यात्रा आवश्यकताओं के प्रबंधन के साथ ही राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि हेतु विक्रेता की नियुक्ति।

5. कार्य क्षेत्र:

- बैंक को यात्रा संबंधी सेवाएं जैसे कि घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय हवाई / रेल टिकट जारी करना, आरक्षण संभालना, पुष्टि करना, बोर्डिंग पास जारी करना, एयर / ट्रेन टिकट रद्द करना और तत्काल में ट्रेन टिकटों की बुकिंग, प्रदान करें।
- पासपोर्ट सेवा, यात्रा बीमा, वीजा जारी करना आदि प्रदान करें।
- ईमेल या किसी भी अन्य तरीके से स्वीकृत संचार के माध्यम द्वारा बैंक से प्राप्त विशिष्ट मांगों के आधार पर प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं।
- वेंडर को सभी एयरलाइंस के साथ सहयोग करने की व्यवस्था करनी होती है और सभी टिकट (घरेलू और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय) को कॉर्पोरेट किराया योजना के तहत बुक करना होता है, जिसमें शून्य या न्यूनतम रद्दीकरण / पुनर्निर्धारण शुल्क रा.आ.बैंक द्वारा लगाया जाना है और इसमें भोजन को स्वचालित रूप से कॉर्पोरेट किराया सुविधा के तहत शामिल किया जाना चाहिए।
- विक्रेता खर्च के मूल्य का अनुकूलन करने का प्रयास करेगा और बैंक को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी दरें प्रदान करने का प्रयास करेगा।
- विक्रेता को बुकिंग पुष्टिकरण और यात्रा कार्यक्रम की जानकारी भेजनी होती है और बुकिंग के समय अधिकारी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर समय-समय पर एसएमएस (लघु संदेश सेवा) और ईमेल के माध्यम से बैंक को बुकिंग की स्थिति और आगे की यात्रा संबंधी जानकारी अपडेट करनी होती है।
- प्रत्येक माह की 5 तारीख तक निर्धारित प्रारूप में प्राप्त सुविधाओं के संबंध में समेकित एमआईएस की तैयारी।
- एक्सेल में संकलित भाग वार ब्रेक अप के साथ बैंक द्वारा यथा सूचित या मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाने वाले जीएसटी और अन्य लागू करों सहित बिल।
- एजेंट को केंद्र सरकार से इनपुट क्रेडिट का दावा करने हेतु एयर एवं ट्रेन टिकट का जीएसटी चालान प्रदान करना चाहिए। जीएसटी चालान जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित राशि (इनपुट क्रेडिट या केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी अन्य लाभ) को दंड के साथ वेंडर द्वारा जारी किए गए बिल से काट दिया जाएगा।
- रा.आ.बैंक के अधिकारियों / प्रतिनिधियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वेंडर की ओर से दिल्ली में रा.आ.बैंक के मुख्यालय में 10:00 बजे से 06:00 बजे तक जब भी कार्यालय समय के पश्चात आवश्यक हो, एक समर्पित व्यक्ति तैनात किया जाना चाहिए।
- बैंक की आवश्यकता के अनुसार, वेंडर को सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक है।

6. संविदा की अवधि:

संविदा की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए है, जिसे वाणिज्यिक बोली में उद्धृत दर में मौजूदा नियम और शर्तों पर वार्षिक कार्य-निष्पादन समीक्षा के अधीन अधिकतम तीन वर्ष तक वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

टिप्पणी:

यह आरएफपी ऐसे कार्यों, गतिविधियों, उत्तरदायित्वों और सेवाओं के वर्णन करने में परिपूर्ण नहीं है जिसके लिए विक्रेता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा की भागीदारी से, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि करता है कि यदि कोई भी कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं जो विशेष रूप से इस आरएफपी में वर्णित नहीं हैं, या विशेष रूप से वर्णित हैं लेकिन विनियामक/सांविधिक बदलावों के कारण उपयुक्त बदलाव/ संशोधन करने पड़ेंगे तथा संविदा के उचित निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त संदर्भित किए गए हैं, ऐसे कार्य, गतिविधियां, उत्तरदायित्व या सेवाएं (लागू बदलाव के साथ, यदि कोई हो) अंतर्निहित और इस आरएफपी के सेवा क्षेत्र तहत समाविष्ट समझा जाएगा और बोलीदाता का प्रत्युत्तर उस सीमा तक तथा उसी प्रकार का होगा जैसा कि इस आरएफपी और बोलीदाता के प्रत्युत्तर में विशेष रूप से बताया गया है।

7. बोलीदाताओं को निर्देश

8.1 सामान्य:-

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी, एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
- किसी भी बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि को छोड़कर कोई बाध्यकारी संबंध मौजूद नहीं रहेगा जब तक कि अनुबंधात्मक करार का निष्पादन न किया जाये। बोलियों का मूल्यांकन एवं उसे अंतिम रूप देने और सफल बोलीदाता की पहचान करने के बाद, प्रमाणिकता संधि सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले निश्चित करार का हिस्सा बनेगी। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा पूर्व प्रमाणिकता संधि प्रस्तुत की गई बोली के संबंध में उक्त संविदा पूर्व प्रमाणिकता संधि के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा प्रतिबद्ध किसी भी कार्य/चूक के लिए उन पर बाध्यकारी होगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र विक्रेताओं को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के प्रत्युत्तर में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।
- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें, जो नीचे दिया गया है:

संपर्क व्यक्ति:

1. सुश्री मेघना प्रकाश

क्षेत्रीय प्रबंधक

मानव संसाधन और प्रशासन विभाग

राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5 ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावस केंद्र,

लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ई-मेल: meghna.prakash@nhb.org.in

फोन नं. : 011-39187182

2. सुश्री प्रमा बसु

उप प्रबंधक

मानव संसाधन और प्रशासन विभाग

राष्ट्रीय आवास बैंक

कोर 5 ए, तीसरी मंजिल, भारत पर्यावस केंद्र,

लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

ई-मेल: prama.basu@nhb.org.in

फोन नं. : 011-39187200

- रा.आ.बैंक निविदा/आरएफपी बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध कराये ताकि आरएफपी के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सके।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

- यदि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि किसी प्रश्न का प्रवर्तक ऐसे प्रश्न के किसी भी प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो रा.आ.बैंक सभी बोलीदाताओं को ऐसे प्रत्युत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति/यों के समक्ष सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार प्रातः 11.00 से सायं 5.00 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व रख सकते हैं।
- रा.आ. बैंक अपने आरएफपी के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

7.2 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी में स्पष्ट की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में दिनांक 04.02.2020, बजे अथवा उससे पूर्व ईमेल या डाक द्वारा उपरोक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं का प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

7.3 निविदा / आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा/आरएफपी दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

7.4 निविदा / आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

7.5 मिटाना अथवा संशोधन

मिटाने अथवा संशोधित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी बोलियों में किसी भी अंतःविषय, विलोपन या अधिलेखन को केवल रा.आ.बैंक के विवेक पर विचार किया जा सकता है, यदि वे बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आरंभ किए जाते हैं। हालाँकि, किसी भी रूप में किसी भी तरह का इंटरलिनेशन, मिटाने या अधिलेखन को वाणिज्यिक बोली में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव में हाथ से लिखित सामग्री, सुधार अथवा संशोधन न हो। तकनीकी विवरण पूरी तरह

भरा हो। प्रस्तुत किए जा रहे उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी अवश्य भरनी चाहिए। जानकारी भरने में 'ठीक है', 'स्वीकार है', 'देख लिया है', 'जैसा ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है' जैसे शब्द स्वीकार्य नहीं हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक इन दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकार्य के तौर पर समझेगी। आवास बैंक इस प्रस्ताव में किसी प्रकार के गैर अनुरूपता अथवा मामूली अनियमितता पर अपने विवेक पर छूट दे सकता है जो रा.आ.बैंक की राय में सहायक है और आवश्यक नहीं है। यह सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगी एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के पास ऐसे छूट देने के अधिकार सुरक्षित हैं।

7.6 बोली /निविदा/ आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधित कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार की चूक के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को स्ट्रैप करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

7.7 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

7.8 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज (प्रारूप में अलग से निर्दिष्ट निर्देशों का कृपया अनुसरण करें, यदि कोई हो)

1. **अनुलग्नक I भाग I** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोली दस्तावेज के साथ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला पत्र;
2. **अनुलग्नक I भाग II** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता की जानकारी;
3. **अनुलग्नक II** में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में बोलीदाता के अनुभव का ब्यौरा;

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

4. अनुलग्नक III में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में अनुपालन वक्तव्य घोषणा;
5. अनुलग्नक IV में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में विचलनों की सूची, यदि कोई;
6. अनुलग्नक V में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में न्यूनतम पात्रता पर जानकारी;
7. अनुलग्नक VI में वाणिज्यिक बोली कवरींग पत्र
8. अनुलग्नक VII में वाणिज्यिक बोली प्रारूप;
9. अनुलग्नक VIII में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में ईसीएस अधिदेश;
10. अनुलग्नक IX में यथा निर्दिष्ट प्रारूप में योग्यता पत्र
11. अनुलग्नक X में यथा प्रारूप में मुख्य कार्मिक का बायोडेटा
12. अनुलग्नक XI (संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैकट को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर स्पष्ट टाइप किया जाना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से उक्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए) में प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैकट (जहां भी लागू हो)।
13. अनुलग्नक XII में सेवा स्तरीय करार प्रारूप
14. अनुलग्नक XIII में गोपनीयता सह अप्रकटीकरण करार प्रारूप

टिप्पणी: ईएमडी राशि के बिना बोलियों को संक्षिप्त रूप में खारिज कर दिया जाएगा।

7.9 बोली मुद्रा

मूल्य केवल भारतीय रूपए में व्यक्त किए जाएंगे। भारतीय रूपए के अलावा अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.10 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

(क) सभी बोलियां **राष्ट्रीय आवास बैंक** के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम 50,000 रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये।

खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र.स.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली- 110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं .	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं .	110004005

(ख) भुगतान का सबूत संलग्न होना चाहिए तथा न्यूनतम पात्रता मानदंड के साथ अलग लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती। बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश पत्र, जैसा **अनुलग्नक - IX** में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(ग) यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

(घ) ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ङ) जैसा यहां बताया गया है वैसा या फिर जैसा निर्धारित करार में बताया गया है, सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि कार्य/संविदा देने के पश्चात 15 दिन या उससे पहले निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर लौटा दिया जाएगा। सफल बोलीदाता की ईएमडी को अनुबंध की अवधि के दौरान रा.आ.बैंक द्वारा बरकरार रखा जाएगा और अनुबंध की अवधि पूरी होने या अनुबंध की समाप्ति के बाद वापस कर दिया जाएगा, जब तक कि आरएफपी / अनुबंध के संदर्भ में जब्त नहीं किया जाता है।

(च) ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोली आहरित कर लेता;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है।
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता संविदा पर हस्ताक्षर करने में असफल हो जाता है; और
- संविदा-पूर्व प्रमाणिकता संधि के किसी भी उल्लंघन के मामले में।
- आरएफपी की शर्तों के अनुसार एसएलए के निष्पादन के बाद ही बिलिंग चक्र आरंभ होगा।

7.11 बोलियों की वैधता अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें रा.आ.बैंक द्वारा स्वीकृति हेतु वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 3 माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली की प्रतिभूति/ईएमडी भी बढ़ा दी जाएगी।

7.12 बोली का प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली को दो भागों में प्रस्तुत किया जाएगा:

- **भाग I:** न्यूनतम पात्रता मानदंड तथा प्रच्छादित (मास्कड) वाणिज्यिक बोली (बिना किसी मूल्य के मूल्य बोली) शामिल हैं। उपरोक्त कंटेन्ट “न्यूनतम पात्रता मानदंड प्रस्ताव” के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे।
- **भाग II :** "वाणिज्यिक प्रस्ताव" के रूप में उल्लिखित होने के बाद केवल वाणिज्यिक बोली कवर करेंगे।
- वास्तविक बोली पक्की स्याही से टाइप की हुई या लिखित में होनी चाहिए तथा संविदा के बोली लगाने के लिए बाध्य के विधिवत प्राधिकृत बोलीदाता अथवा एक व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षित होनी चाहिए। व्यक्ति अथवा व्यक्ति जो बोली हस्ताक्षर कर रहे हैं, असंशोधित मुद्रित साहित्य के अलावा बोली के सभी पृष्ठों पर संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे।

7.13 बिडों की सीलिंग एवं चिन्हांकन

- सभी लिफाफे नीचे दिए रा.आ.बैंक के पते पर भेजे जाएंगे:

श्री एस.के. पाढ़ी
उप महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र
लोधी रोड
नई दिल्ली – 110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा हो।
- बोलीदाता न्यूनतम पात्रता मानदंड और ईएमडी (न्यूनतम पात्रता मानदंड प्रस्ताव) और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफे को अलग से मुहरबंद करेगा और दोनों को बड़े लिफाफे में संलग्न करेगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर 'यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति हेतु न्यूनतम पात्रता मानदंड प्रस्ताव' और "यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग की नियुक्ति हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव" अलग से लिखा हो।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हो तो रा.आ.बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

7.14 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।
- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, पूर्व समय सीमा के अधीन रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और दायित्व बढ़ाई गई समय सीमा के अधीन होंगे।

7.15 विलम्ब से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोली दाता को लौटा दिया जाएगा।

7.16 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्दिष्ट तारीख और समय को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।
- न्यूनतम पात्रता मानदंड बोलियां खोलने का स्थान:
राष्ट्रीय आवास बैंक,
कोर 5 ए, तीसरी मंजिल,
भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

- बोलीदाता के नाम और उपस्थिति या अपेक्षित ईएमडी की अनुपस्थिति, तथा अन्य ब्योरे जिसे रा.आ.बैंक अपने निर्णयानुसार उचित समझता है, की घोषणा वाणिज्यिक बोली खोलने के समय की जाएगी।

7.17 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (पत्र /ईमेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.18 प्रारंभिक जांच

- रा.आ.बैंक यह देखने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखा करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

7.19 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ. बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह विशिष्ट अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

7.20 कीमत संघटन एवं व्युत्पन्न

- बोलीदाता को **अनुलग्नक VIII** में उपलब्ध संरचना के अनुसार सख्ती से लागत मैट्रिक्स सफ़ट तौर पर प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की अवहेलना होने पर बोली निरस्त कर दी जाएगी। वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई अन्य विकल्प कोट नहीं किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी विकल्प होंगे तो बोली निरस्त की जा सकती है।
- वाणिज्यिक प्रस्ताव निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। कर (वर्तमान और भविष्य) अनन्य कंसल्टेंसी की लागत से संबंधित किसी भी मूल्य परिवर्तन को संविदा की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य हेतु शामिल नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

- कोट किया गया मूल्य करों का अन्नय होना चाहिए। मूल रूप से जीएसटी/अन्य करों का भुगतान सांविधिक संशोधन के अनुसार किया जाएगा।
- बोलीदाता द्वारा कोट किया गया मूल्य संविदा यानी एक वर्ष की अवधि हेतु बोलीदाता के कार्य निष्पादन के दौरान दृढ़ रहेगा जिसे संतोषजनक कार्य निष्पादन के अधीन तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, यह बैंक का एकमात्र विवेक होगा।
- संविदा की प्रारंभिक तिथि लेटर ऑफ अवॉर्ड (प्रारंभिक तिथि) की स्वीकृति की तिथि या ऐसी अन्य तिथि होगी जो रा.आ.बैंक द्वारा तय की जा सकती है। यदि लागू हो तो उक्त तिथि को संविदा के नवीनीकरण हेतु माना जाएगा।

7.21 संशोधन एवं वापसी

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व की बैठक के बाद ही बोलियाँ जमा करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-डिलीवरी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

7.22 कीमतों का प्रकटन

किसी भी रूप में या किन्हीं कारणों से कीमतों को वाणिज्यिक बोली को छोड़कर बोली के तकनीकी या अन्य भागों में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने में विफलता बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.23 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है और यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

7.24 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके विक्रेता से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

7.25 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

7.26 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र न्यूनतम पात्रता मानदंड बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

7.27 कानूनों का अनुपालन

(क) विक्रेता / बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जायेंके बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार

संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड़, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा राष्ट्रीय आवास बैंक विक्रेता को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों /दायित्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.28 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी बोली(बोलियां) निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बयाना / ईएमडी जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है, रा.आ.बैंक अपने विवेक से उचित कार्रवाई कर सकता है जैसा कि संविदा की समाप्ति के लिए आरएफपी में प्रदान किया गया है।

7.29 भुगतान की शर्तें:

सेवा शुल्क की कोटेशन में सभी करों के अंतिम मूल्य शामिल होना चाहिए। जीएसटी सहित लागू करों का भुगतान उद्धृत मूल्य के अतिरिक्त किया जाएगा। रा.आ.बैंक स्रोत पर इस तरह के कर कटौती करने हेतु प्राधिकृत है जैसा कि विक्रेता को किए गए भुगतान के संबंध में कानून / नियमों के अनुसार आवश्यक हो सकता है।

भुगतान सेवा शुल्क / शुल्कों के लिए मासिक आधार पर जारी किए जाएंगे। तथापि, टिकट और बुकिंग आदि की लागत भुगतान हेतु पाक्षिक आधार पर बैंक द्वारा विक्रेता को प्रदान की जाएगी।

प्रस्ताव हेतु अनुरोध: यात्रा व्यवस्था की आउटसोर्सिंग के लिए विक्रेता की नियुक्ति: राष्ट्रीय आवास बैंक

आरएफपी की शर्तों के अधीन, संविदा समाप्त होने की स्थिति में, सेवाओं का भुगतान वसूली योग्य और लागू टीडीएस / अन्य लागू करों में कटौती के बाद जिस अवधि के लिए सेवाओं की डिलीवरी की गई है, आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

8 देयता खंड:

विक्रेता इस आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं के निष्पादन हेतु रा.आ.बैंक के प्रति तथा ऐसे कार्य निष्पादन में विक्रेता की ओर से कोई चूक होने पर रा.आ.बैंक को हुए किसी नुकसान के लिये उत्तरदायी होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि किसी भी मामले में, विक्रेता का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो बैंक के पास ईएमडी को जब्त करने और संविदा को समाप्त करने का भी विवेक होगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9 क्षतिपूरण:

विक्रेता इस कार्य/संविदा के निष्पादन से उत्पन्न, विक्रेता, या नियत कर्मचारियों, अधिकारियों या एजेंटों के कार्यों या चूकों से उत्पन्न उनकी लागत और खर्चों सहित किसी भी प्रकृति या प्रकार के सभी दावों, मांगों, हरजाने और देयता के विरुद्ध रा.आ.बैंक, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करेगा। यह प्रावधान अन्य बातों के साथ कर और अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा चूक या विवरणी दाखिल करने में देरी के लिए किए गए सभी दावों और मांगों का विस्तार करेगा।

10. बोलियां (न्यूनतम पात्रा मानदंड और वाणिज्यिक) और बोली मूल्यांकन पद्धति

वें बोलियां जो न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करती है, वे आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगी और तत्पश्चात बोलियां जो न्यूनतम पात्रता मानदंड और L1 मानदंड दोनों को पूरा करती है, उन बोलियों का चयन किया जाएगा।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

**किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*